

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज 0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 42/2014

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड

1. राजस्थान सरकार जरिये

राबडियावास तहसील जैतारण जिला

तहसीलदार, जैतारण

पाली राज.

तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रज्: 24/02/2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 29/06/2015

वकील मय सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध गै०सा० इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 826/1 रकबा 3-05 बीघा किस्म बाराणी दोयम की आई हुई है। जिसका प्रार्थी रेकर्ड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी खतौनी 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 826/1 रकबा 3-05 बीघा खाता संख्या 214 जमाबंदी खतौनी में दर्ज है व लगान भी अलग से दर्ज है व प्रार्थी का उक्त भूमि का खाता अलग दर्ज होते हुए भी प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि की खसरा नम्बर 826/1 रकबा 3-05 बीघा का नक्शा ट्रेस में अलग से अंकन नहीं है। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जिसमें प्रार्थी के खाते की भूमि मौके पर कब्जा अनुसार अलग से दर्शायी जाकर नक्शा ट्रेस में खाता अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शे में दर्ज किया जाना जरूरी है। इस हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमान् को भू-राजस्व अधिनियम में लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर के अधिकार प्राप्त है व खाता अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम का आदेश देने में श्रीमान् सक्षम है व उक्त भूमि का भूमि धारक राजस्थान सरकार है। जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार, जैतारण के हैं। जिसे पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै०सा० को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबडियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै०सा० राजस्व शिविर में उपस्थित होने से उनका कथन है कि भूमि का सीमांकन कर तरमीम कर दिया जावेगा।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काशत की जमीन खसरा नम्बर 826/1 रकबा 3-05 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का सीमांकन कर तरमीम किया जावे। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केंद्र-राबडियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला माली (पसी)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला माली (पसी)